

पत्र सं०-विधि-4(1)/परिपत्र भाग-4/2018-19//

530

/ 1819077

// वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30प्र० ।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक, 21 दिसम्बर, 2018

समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- वार्षिक विवरणी (रूप पत्र 52, 52ए, 52बी) वर्ष 2017-18 दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाये जाने के सम्बंध में ।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र सं०- पत्र सं०-विधि-4(1)/परिपत्र भाग-4/2018-19 //374/1819055// वाणिज्य कर, दिनांक 29.10.2018 एवं पत्र सं०-विधि-4(1)/परिपत्र भाग-4/2018-19// 379/1819056// वाणिज्य कर, दिनांक 31.10.2018 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 (वैट) से सम्बंधित वार्षिक विवरण (रूप पत्र 52, 52ए, 52बी) दाखिल करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2018 से बढ़ाकर दिनांक 31.12.2018 निर्धारित की गयी थी । उक्त संदर्भ में 30प्र० के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों, विभिन्न उद्योग/व्यापारिक संगठनों आदि से प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए उक्त अवधि की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि 31.03.2019 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है ।

विभागीय पोर्टल पर वर्ष 2017-18 (वैट) की वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने की स्थिति का अवलोकन करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अभी तक वर्ष 2017-18 से सम्बंधित कुल 56,413 ही वार्षिक विवरणी दाखिल किये गये हैं, जो कि गत वर्ष की अपेक्षा काफी कम है । जोनल अधिकारियों द्वारा भी समय-सीमा बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 30प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के नियम-45 के उपनियम (7) के द्वितीय परन्तुक में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 वैट से सम्बंधित वार्षिक विवरणी (रूप पत्र 52, 52ए, 52बी) दाखिल किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2019 तक अंतिम रूप से बढ़ायी जाती है ।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है उक्त तिथि को अब किसी भी दशा में आगे नहीं बढ़ाया जायेगा । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन में विभिन्न व्यापारिक संगठनों/अधिवक्ता संगठनों की बैठक कर उक्त अवधि में शत-प्रतिशत व्यापारियों की वार्षिक विवरणी जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा व्यापारिक संगठनों/अधिवक्ता संगठनों को यह अवगत करा दें कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में वार्षिक विवरणी दाखिल न किये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं अन्य समुचित विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

कृपया तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करने एवं समस्त अधिवक्ता संघों/ व्यापारिक संगठनों को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

21/12
(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।